

थाना गजरौला पुलिस व एस0ओ0जी0/ सर्विलांस टीम द्वारा डबल मर्डर की सनसनीखेज घटना का 36 घंटे में खुलासा कर घटना में संलिप्त 02 अभियुक्त मय आलाकत्ल व घटना में प्रयुक्त मो0 सा0 सहित गिरफ्तार ।

अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक जनपद अमरोहा श्रीमती सुनीति के नेतृत्व में, अपर पुलिस अधीक्षक जनपद अमरोहा श्री अजय प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी धनौरा के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 23/24.02.2021 की रात्रि में ग्राम मौहम्मदाबाद के देशी शराब के ठेके के निकट डबल मर्डर करने की घटना का सर्विलांस/एस0ओ0जी0 टीम व थाना गजरौला पुलिस द्वारा खुलासा कर 02 अभियुक्तगण आलाकत्ल सहित गिरफ्तार किये गये ।

अवगत कराना है कि दिनांक 24.02.2021 को प्रातः समय करीब 08.15 बजे थाना गजरौला पर श्री बालकरन पुत्र गौकुल सिंह निवासी ग्राम कासमाबाद ने सूचना दी कि ग्राम मौहम्मदाबाद में देशी शराब ठेके के पास जीरो बन्दे के निकट मेरे पुत्र रामनिवास व उसके दोस्त सूफियान के शव पड़े हैं । उक्त सूचना पर प्रभारी निरीक्षक गजरौला मय फोर्स के तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे तथा घटना की सूचना उच्चाधिकारीगण को दी । घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती सुनीति, जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारीगण के साथ मौके पर पहुंची तथा सर्विलांस/एस0ओ0जी0 टीम, डॉग स्कॉवायड व फील्ड यूनिट को साथ लेकर घटनास्थल का गहनता से निरीक्षण किया गया तो शराब ठेके के आस-पास जमीन पर काफी खून के स्पॉट पाये गये तथा सूफियान की लाश देशी शराब ठेके से कुछ दूरी पर खेत में खून से लथपथ पड़ी थी जिसके आस-पास काफी खून पड़ा था व रामनिवास की लाश शराब ठेके से करीब 100 मीटर दूर गंगा नदी की ओकर के पास मिली जिसके पास से ही एक मोबाइल फोन भी मिला तथा वही ओकर के दूसरी तरफ से एक मोटरसाइकिल व एक मोबाइल फोन बरामद हुआ । उक्त घटना के शीघ्र अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्रीमती सुनीति द्वारा मौके पर ही सर्विलांस, एस0ओ0जी0 सहित कुल 04 पुलिस टीमों का गठन किया गया । दोनो मृत व्यक्तियों के शवों का पंचनामा भर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया । उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना गजरौला पर श्री बालकरन की तहरीर पर मु0अ0स0 145/20201 धारा 302,201 भादवि बनाम 1. सूरज पुत्र जगत सिंह निवासी ग्राम बेरखेडा थाना मंडी धनौरा हाल निवासी मौहल्ला कोट पूर्वी कस्बा व थाना हसनपुर व 2. सुल्तान पुत्र महमूद निवासी कस्बा व थाना रजबपुर जनपद अमरोहा पंजीकृत कराया गया ।

आज दि0 26.02.2021 को थाना गजरौला पुलिस मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्तगण की तलाश में थाना गजरौला में मामूर थी कि सूचना पर अभियुक्त सूरज व उसके साथ ही प्रेम गोविन्द पुत्र हरगोविन्द निवासी ग्राम इस्माइलपुर थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर हाल निवासी ग्राम काशमाबाद थाना गजरौला जनपद अमरोहा को कहीं भागने की फिराक में खड़े ग्राम काकाठेर वाले कट के पास से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त सूरज व प्रेम गोविन्द से गहनता से पूछताछ पर अभियुक्तगण द्वारा दि0 23/24.02.2021 की रात्री में अभियुक्त सुल्तान के कहने पर सूफियान की तबल(दाँव) से गर्दन पर वार कर व रामनिवास को उसी की मोटरसाइकिल पर करीब 100 मीटर दूर गंगा नदी की ओकर में ले जाकर गला दबा कर हत्या करने की घटना का इकबाल किया । जिसके पश्चात अभियुक्तगण की निशादेही पर आलाकत्ल तबल(दाँव) , अभियुक्तों द्वारा छिपाये गये खून से सने कपडे बरामद किये गये । अभियुक्त सुल्तान की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम प्रयाशरत है ।

पुछताछ विवरण:-

अभियुक्त सूरज करीब 06 माह से सुल्तान के देशी शराब के ठेके पर काम करता है जिसके बगल में ही प्रेम गोविन्द अपनी नमकीन, गिलास बेचने की कैंन्टीन चलाता है । सूफियान व रामनिवास आपस में दोस्त थे तथा प्रतिदिन एक साथ सुल्तान के शराब ठेके पर जाकर शराब पीते थे । दि0 19.02.2021 को जब ठेका मालिक सुल्तान ठेके पर आया हुआ था तो रामनिवास ने ठेके के सामने ही पेशाब कर दिया था जिसका विरोध ठेकेदार सुल्तान ने किया था तो सूफियान व रामनिवास ने गाली गलौच व हाथापाई कर दी, यह बात सुल्तान को बहुत नागवार गुजरी व अपने शराब की उधारी के 1500 रूपये माँगे तो नहीं दिये इस पर सूरज ने रामनिवास का मोबाइल फोन अपने पास रख लिया तथा दौनो को ठिकाने लगाने की योजना बनाई । दिनांक 23.02.2021 को शाम करीब 6:00 बजे रामनिवास व सुफियान ने ठेके पर शराब पी तथा बिना पैसे दिए प्रेम गोविंद से नमकीन मांगी तो मना कर दिया तभी सूफियान व रामनिवास ने प्रेम गोविंद के साथ हाथापाई कर दी जिसके बाद सूरज व प्रेम गोविंद ने सुफियान को पकड़ लिया तथा सूरज ने दुकान में रखे तबल से तीन चार बार सुफियान के गर्दन व सिर पर वार कर हत्या कर उसके शव को खींच कर नीचे खेत में फेंक दिया ।

उसके बाद रामनिवास के फांसी लगवाने की बात कहने पर रामनिवास को उसी की मोटरसाइकिल पर बीच में बैठाकर करीब 100 मीटर चलकर बंदे से गंगा को जाने वाली ठोकर के पास ले जाकर दोनों ने गला दबाकर हत्या कर दी तथा उसका मोबाइल भी उसकी लाश के पास फेंक दिया। उसके बाद हत्या करने में प्रयोग किये गये दाँव को कुछ दूरी पर गेहूँ के खेत में फेंक दिया था। दोनों के कपड़े खून से सने थे तो अभियुक्त सूरज ने अपने कपड़े गंगा नदी की ठोकर में ही फेंक दिये तथा ठेके से दूसरे कपड़े पहने व प्रेम गोविन्द ने खून से सने अपने कपड़े अपने घर के सामने वाले मकान की छत पर फेंक दिये तथा अपने-अपने घर चले गये थे।



गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. सूरज पुत्र जगत सिंह निवासी ग्राम बेरखेडा थाना मंडी धनौरा हाल निवासी मौहल्ला कोट पूर्वी करबा व थाना हसनपुर।
2. गोविन्द पुत्र हरगोविन्द निवासी ग्राम इस्माइलपुर थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर हाल निवासी ग्राम काशमाबाद थाना गजरौला जनपद अमरोहा।

बरामदगी का विवरण: -

1. आलाकत्ल दांव, मोटर साइकिल, खून से सने अभियुक्तों के कपड़े, मृतको के 02 मोबाइल फोन।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री रामप्रसाद शर्मा थाना गजरौला जनपद अमरोहा।
2. निरीक्षक श्री शरद मलिक पीआरओ पुलिस अधीक्षक अमरोहा।
3. निरीक्षक श्री संजय तोमर प्रभारी सर्विलांस/साइबर टीम अमरोहा।
4. निरीक्षक श्री मोहित चौधरी प्रभारी एस0ओ0जी0 टीम अमरोहा।
5. व0उ0नि0 श्री प्रमोद पाठक थाना गजरौला जनपद अमरोहा।
6. उ0नि0 श्री निशान्त राठी थाना गजरौला जनपद अमरोहा।
7. उ0नि0 श्री उ0नि0 आदेश राठी थाना गजरौला जनपद अमरोहा।
8. का0 दीपक थाना गजरौला जनपद अमरोहा।
9. का0 अरुण थाना गजरौला जनपद अमरोहा।

10. का0 योगेश सैनी थाना गजरौला जनपद अमरोहा ।

11. का0 कश्मीर थाना गजरौला जनपद अमरोहा ।

12. का0 मोहित थाना गजरौला जनपद अमरोहा ।

13. का0 आशीष थाना गजरौला जनपद अमरोहा ।

14. का0 राशिद थाना गजरौला जनपद अमरोहा ।

15. हे0का0 गौरव शर्मा एस0ओ0जी0 टीम अमरोहा ।

16. का0 योगेश तोमर सर्विलांस टीम अमरोहा ।

17. का0 अनिल कुमार सर्विलांस टीम अमरोहा ।

18. का0 विजय शर्मा एस0ओ0जी0 टीम अमरोहा ।

19. का0 कमल कुमार एस0ओ0जी0 टीम अमरोहा ।

20. का0 अरविन्द शर्मा एस0ओ0जी0 टीम अमरोहा ।